UPJB010025672018

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03 , जनपद अमरोहा।

सत्र परीक्षण सं०–212/2018
राज्य बनाम जगत सिंह
अपराध सं0–34/2018
धारा–25 आयुध अधिनियम
थाना डिडौली , जिला अमरोहा

आदेश

दिनांकः 25.06.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभियुक्त **जगत सिंह पुत्र फूल सिंह ,** निवासी ग्राम बड्ढा, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ की मृत्यु आख्या को समर्थित करने के लिए साक्षी सी0 डब्लू0 01 उपनिरीक्षक संजीव कुमार वर्तमान तैनाती थाना डिडौली , अमरोहा न्यायालय में उपस्थित आए हैं।

02. साक्षी उ0नि0 द्वारा यह बयान दिया है कि दिनांक 12.12.2025 को अभियुक्त जगत सिंह पुत्र फूल सिंह के विरूद्ध न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी का आधिपत्र प्राप्त हुआ था , जिसकी तामीला के सम्बन्ध में उसने अभियुक्त जगत सिंह के गांव बड्ढा, थाना सिम्भावली, जनपद हापुड़ पहुंचा तो अभियुक्त के परिजनों द्वारा जगत सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए बताया कि **जगत सिंह की मृत्यु दिनांक 17.09.2024 को हो चुकी है।** साक्षी के द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन व जगत सिंह की मृत्यु होने की पुष्टि करने के उपरान्त अभियुक्त जगत सिंह की मृत्यु आख्या दिनांकित 21.12.2025 तैयार करके मय मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति के थाने पैरोकार के माध्यम से पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी है , जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं जिन्हें वह पहचानाता है और साबित करता है, जिस पर **प्रदर्श ग–1** डाला गया।

03. साक्षी सी0डब्लू0–01 के बयान, मृत्यु आख्या और मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर यह साबित हो रहा है कि अभियुक्त **जगत सिंह पुत्र फूल सिंह** की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त एस.टी. में अन्य कोई अभियुक्त नहीं है। **अतः पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।**

(संजय चौधरी)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–03
जनपद अमरोहा।

Digitally signed by SANJAY CHAUDHARY
Date: 2026.06.25 15:50:54 EDT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court